


तारीख
हुक्म

05.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पूर्व आदेशिका दिनांक 27.05.2024 कि पालना मे वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

